न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2018 (RCMS 2018/00058)	22.06.2019	19.07.2019

अनवान

1. नन्दूबाई पुत्री देवजी उर्फ देवा जाति गुर्जर निवासी औछडी जिला चित्तौडगढ हाल मुकाम पत्नि चम्पालाल गुर्जर निवासी सरथल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
2. चांदी पुत्री देवजी उर्फ देवा जाति गुर्जर निवासी औछडी जिला चित्तौडगढ हाल मुकाम पत्नि गेहरीलाल गुर्जर निवासी धराणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलांट्स

बनाम

1. रतनी पत्नि गोरीलाल जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी औछडी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2. केसर बाई पत्नि प्रहलाद जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी औछडी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
3. केसर पुत्री देव जी उर्फ देवा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी औछडी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
4. रूकमा पुत्री देवजी उर्फ देवा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी औछडी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
5. तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोर्डेंट्स

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा	अपीलांट्स
	अधिवक्ता श्री बीएल पोखरना	रेस्पोडेन्ट् संख्या 1, 2, 3, 4
	पैरोकार सरकार	रेस्पोडेन्ट् संख्या 5

–:: अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने खिलाफ रेस्पोडेंट्स के अपील इस आशय की प्रस्तुत कर निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय काननून एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के वंशावली का मुताबिक अपील मेमों है। अपीलाट्स मृतक देवजी उर्फ देवा पिता हेमा जी गुर्जर की जायंदा पुत्रियां है एवं मृतक देवजी उर्फ देवा पिता हेमा की मृत्यु के बाद विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया वह अकेले उनके पुत्र गौरीलाल पिता देवजी उर्फ देवा के नाम खोला गया जो विधि विरूद्ध है। वक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई ना ही कोई समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पुत्र के नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स मृतक देवजी की जायंदा पुत्रियां है। जायन्दा पुत्रियां होने से विवादित आराजीयात में बाई बर्थ अधिकार है क्योंकि आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की पैत्रिक पुश्तैनी सम्पत्ति है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 10.06.2018 को रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 4 द्वारा यह कहा गया कि जमीन हमारे नाम पर है और जमीन हम किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर रहे है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलांट को दिनांक 10.06.2018 को हुई है। जानकारी होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रापत की तत्पश्चात् अपने अधिवक्ता से राय कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की जा रही है फिर भी अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.02.1975 की जानकारी दिनांक 10.06.2018 को हुई है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट को बिना सुने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है जिससे दिनांक 05.02.1975 से लगायत दिनांक 10.06.2018 तक का समय जानकारी के अभाव में क्षम्य फरमाया जावें एवं अपील को गुणदोष के आधार पर निर्णित किया जाना कानूनन आवश्यक है। राजस्व ग्राम औछडी का जो नामान्तरकरण संख्या 378 में वर्णित गत प्रबंध के आराजी नम्बर के निम्न नये भू प्रबंध के आराजी नम्बर इस प्रकार है। खाता संख्या 317 आराजी संख्या 780, 782, 783, 784, 785, 786, 983/1, 1157/781 किता 8 रकबा 2.6150 एवं खाता संख्या 318 आराजी संख्या 790 रकबा 0.06 हैक्टर आ0चा0 एवं खाता संख्या 319 आराजी संख्या 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 किता 10 रकबा 6.34 हैक्टर बने है। विवादित कृषि आराजीयात ग्राम औछडी में स्थित होने से उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार आपको

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भी कंटेस्ट के पारित हुआ है जिससे भी धारा 75 एफ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होने से यह अपील श्रवणार्थ एवं निर्णयार्थ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरकरण के निर्णय को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट को सह खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

इस पर अपीलांट्स की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.03.2019 को रेस्पोडेंट्स संख्या 1, 2, 3, 4 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बीएल पोखरना हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 13.05.2019 को अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि यह तथ्य पूर्णतः असत्य होकर अस्वीकार है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के नामान्तकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण/अपीलांट्स को दिनांक 10. 06.2018 को हुई हो। वस्तुतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के नामान्तकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 की जानकारी प्रारम्भ से ही अपीलांट्स/प्रार्थीगण को पूर्ण रूप से रही है। इस कारण अपील पेश करने में देरी काबिल कण्डोन है। यहॉ यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि जिस तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के नामान्तरकरण संख्या 378 की अपील अपीलांट्स ने माननीय न्यायालय में की है वह सन् 2018 में की है जो 43 वर्ष बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। इन 43 वर्षो में उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट्स को न होने का तथ्य पूर्णतः गलत है क्योंकि इस 43 वर्षो की अवधि में उक्त नामान्तरकरण से संबंधित भूमि के कई बार नामान्तरकरण विरासत के आधार पर व विक्रय एवं अन्य ट्रांसफर के आधार पर होते रहे है। नामान्तरकरण दर नामान्तरकरण कई बार स्वीकृत हो राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के संबंध में अपीलांट्स को पूरी जानकारी रही है और मौके पर कब्जा भी हस्तान्तरण के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण से अंतरितियों का होने बाबत् भी जानकारी अपीलांट्स को रही है। फिर भी 43 वर्षो में अपीलांट्स द्वारा कोई अपील न करना किसी भी कदर मियाद को क्षम्य किये जाने का कोई सुमचित आधार नहीं है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि गौरी लाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके नाम पर नामान्तरकरण खोले गये थे जिसकी भी जानकारी अपीलांट्स को रही है विधि अनुसार कोई हक हिस्सा अपीलांट्स का नहीं है। अपीलांट्स को अपने हक की एवं नामान्तरकरण निरस्त करने की कार्यवाही अंतर्गत धारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

188 राजस्थान टिनेंसी एक्ट करना चाहिए ऐसा न करते हुए नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी होने के बावजूद भी 43 वर्षो बाद प्रस्तुत यह अपील निरस्तनीय है क्योंकि इन 43 वर्षो में कई प्रकार के परिवर्तन व नामान्तरकरण हो चुके है अपील मियाद बाहर होने से खारीज फरमाई जावे और मियाद कण्डोन किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है अपील बेरून मियाद है और विधि विपरित है इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट्स/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम सव्यय निरस्त फरमाया जावें। दिनांक 10.06.2019 को अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा अपील मेमों का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि देवजी उर्फ देवा की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व हो चुकी है इस कारण अपीलांट्स का कृषि भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई जन्म से अधिकार नहीं है यानि बाई बर्थ राईट्स नहीं है इस कारण अपील निरस्तनीय है। जिस नामान्तरकरण को अपीलांट्स ने माननीय न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दी है उस अपील की अवधि नामान्तरकरण की दिनांक से 01 माह विधि में प्रावधित है किन्तु उक्त आलौच्य नामान्तरकरण से ही होने के कारण लगभग 43 वर्ष पश्ता् प्रस्तुत यह अपील पूर्णरूपेण अवधि के बाहर होने से मात्र इसी वैधानिक बिन्दु पर निरस्तनीय है। जिस नामान्तरकरण को इस अपील के माध्यम से अपीलांट्स ने माननीय न्यायालय में चुनौती दी है वह नामान्तरकरण दिनांक 05.02.1975 का है और 05.02.1975 के नामान्तरकरण के पश्चात् इन 43 वर्षो के दौरान संबंधित कृषि भूमि के खातेदारी में कई हस्तान्तरकरण व हस्तान्तरकरण दर हस्तान्तरकरण मृत्यु पर भी प्रतिवादी नामान्तरकरण खोले हुए है जिनकी भी जानकारी सहज रूप से अपीलांट्स को रही है ऐसी स्थिति में जो नामान्तरकरण दर नामान्तरकरण खोले गये उन्हें धारा 88 राज0टिनेंसी एक्ट के अंतर्गत चुनौति दिये बगैर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील निरस्तनीय है। अपीलांट्स ने इस अपील में कोई मिलान खसरा पेश नहीं किया कि पूर्व में जो आराजीयात देवजी उर्फ देवा की रही वे आराजीयात वर्तमान आराजीयात हो। इस कारण भी मिलान खसरा के अभाव में इस अपील का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से अपील निरस्तनीय है। अपीलांट्स ने अपील के पैरा नम्बर 8 में अंकित किया है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 कन्टेस्ट से पारित हुआ इसका सीधा सा अर्थ है कि नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 की जानकारी अपीलांट्स को रही है ऐसी स्थिति में 43 वर्षो बाद प्रस्तुत यह अपील अपील के चरण संख्या 8 में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वर्णित तथ्यों के प्रकाश में पूर्णतः अवधि पार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः यह जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट्स माननीय अपील न्यायाल से सादर प्रार्थना करते है कि अपील अपीलांट्स विधि विरूद्ध एवं अवधि बाहर होने से निरस्त फरमाई जावें। दिनांक 01.07.2019 को रेस्पोडेंट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स ने नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 के विरूद्ध यह अपील सन् 2018 में पेश की है जो कि लगभग 43 वर्ष बाद पेश की है जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है ऐसी स्थिति में 43 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत यह अपील पूर्णतः मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 गौरीलाल के नाम पर स्वीकृत होने की सतत जानकारी अपीलांट्स को रही है और गौरीलाल का देहान्त सन् 2019 से काफी वर्षो पूर्व हो चुका था और गौरीलाल की मृत्यु के बाद आलौच्च भूमि गौरीलाल के बजाया गौरीलाल की माता कंचन बाई व गौरीलाल के दो पत्नियों रतनीबाई व प्रेमी उर्फ प्रेम बाई के नाम पर नामान्तरित हुई जिसकी भी जानकारी अपीलांट्स को रही है तत्पश्चात् आलौच्य भूमि हस्तान्तरित होकर क्रेताओं के नाम पर नामान्तरित हुई जिसकी भी जानकारी अपीलांट्स को रही है। अपीलांट्स चांदीबाई ने सइ संबंध में आपत्ति न होने की सहमति इकरार नामा भी दिनांक 09.04.2009 को एवं अपीलांट्स नन्दू ने दिनांक 20.02.2009 को कंचनबाई पत्नि देवजी उर्फ देवा जी गुर्जर रतनीबाई पत्नि गौरीलाल जी गुर्जर प्रेमी उर्फ प्रेमबाई पत्नि गौरीलाल गुर्जर के पक्ष में संपादित व निष्पादित किया है जिसमें भी इस तथ्य का उल्लेख है कि उन्हे आलौच्य नामान्तकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 की जानकारी रही है और तद्नन्तर जो नामान्तरकरण दर नामान्तरकरण हुए उसकी भी उन्हे जानकारी रही है और इस संबंध में उन्होंने कोई आपत्ति व एतराज नहीं होने का कथन सहमति इकरार नामा में किया है जो न्यायालय के अवलोकनार्थ फर्द के साथ अपील के साथ अपील की पत्रावली में पेश है। इस प्रकार यह कथन अपीलांट्स का गलत है कि उन्हें सर्वप्रथम जानकारी नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 05.02.1975 की सर्व प्रथम दिनांक 10.06.2018 को हुई है। अपील की अवधि 01 माह राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तावित है। 01 माह की बजाय 43 वर्ष बाद अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील पूर्णतः विधि विरूद्ध होकर मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य है और धारा 5 कानून मियाद के अनुसार भी न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अपील पेश करने में हुई देरी काबिज कण्डोन अर्थात् माफ किये जाने योग्य नहीं होने से अपील खारीज किये जाने योग्य हैं। अपीलांट्स ने कोई मिलान खसरा भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश नहीं किया जिससे यह प्रकट हो कि पुराने सेंटलमेंट से पूर्व आराजी नम्बर के सेंटलमेंट के बाद क्या आराजी नम्बर कायम हुए इस कारण पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अपील खारीज किये जाने योग्य है। सन् 2005 से पूर्व ही ही देवजी उर्फ देवाजी की मृत्यु हो गई थी इस कारण अपीलांट्स का जन्म से भूमि में अधिकार होने का तथ्य विधि विपरित है और अपील खारीज किये जाने योग्य है। अपीलांट्स ने अपने अपील के पैरा नम्बर 8 में लाईन नंबर 3 में यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भी कन्टेस्ट से पारित हुआ। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट को नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी रही है और कन्टेस्ट से हुए नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय के समायत योग्य भी नहीं है और अपील खारीज किये जाने योग्य हैं आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 का है और 43 वर्षो पश्चात् पेश इस अपील में इन 43 वर्षो के दौरान संबंधित कृषि भूमि के खातेदारान में कई नामान्तरकरण व हस्तान्तरण हुए है और विरासती नामान्तरकरण दर नामान्तरकरण भी हुए। जिनकी भी जानकारी सहज रूप से अपीलांट की यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स चांदीबाई ने सहमति इकरार नामा भी दिनांक 09. 04.2019 को संपादित व निष्पादित किया व अपीलांट नन्दू ने दिनांक 20. 02.2009 को सहमति इकरार नामा भी निष्पादित किया जिसमें यह वर्णित किया है कि गौरीलाल पिता देवजी उर्फ देवाजी के नाम पर जो सन् 1975 में खातेदारी अंकित हुई जिसके संबंध में चांदीबाई व नन्दू को आपत्ति व एतराज नहीं है। गौरी लाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि गौरीलाल की माता कंचन बाई व गौरीलाल की दो पत्नियों रतनीबाई व प्रेमी उर्फ प्रेमबाई के नाम पर नामान्तरित हुई जिसके संबंध में भी उन्हे कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। इस सहमति इकरार नामा के परिप्रेक्ष्य में भी आपत्ति व एतराज नहीं है। इस सहमति इकरार नामा के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलांट की अपील खारीज किये जाने योग्य है। इस सहमति इकरार नामा में नंदू व चांदीबाई ने यह भी अंकित किया हुआ है कि गौरीलाल ने अपने जीवनकाल में हम चांदीबाई व नंदू के लिए सामाजिक व पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए जो सामाजिक खर्चा हम पर किया इससे हमारे हिस्से की पूर्ति कर दी गई और कुछ नकद राशि भी प्राप्त की गई इस कारण वे कोई हिस्सा भी क्लेम नहीं करती है और कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। इसी दृष्टिकोण से अपीलांट द्वारा इकरार नामा निष्पादित किया है जिसके परिप्रेक्ष्य में भी यह अपील खारीज किये जाने योग्य है। इस पर अधिवक्ता अपीलांट्स दिनांक 15.07.2019 को रेस्पोडेंट्स की लिखित बहस के प्रत्युत्तर में अपीलांट्स की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम औछडी में अवस्थित कृषि भूमि जिसका विवरण अपील मेमों में किया गया कि नवीन भू प्रबंधीय कार्यवाही के पश्चात् खाता संख्या 317 आराजी संख्या 780, 782, 783, 784, 785, 786, 983/1, 1157/781 किता 8 रकबा 2.6150 तथा खाता संख्या 318 पर दर्ज सिंचाई का स्त्रोत आराजी संख्या 790 रकबा 0.06 हैक्टर एवं खाता संख्या 319 आराजी संख्या 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 किता 10 रकबा 6.34 हैक्टर कृषि भूमि आराजीयात है जो पक्षकारान को विरासत से मूल पुरूष हेमाजी गुर्जर से प्राप्त हुई है। अपीलांट्स मृतक देवाजी पिता हेमाजी गुर्जर की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान होते हुए भी मृतक देवजी गुर्जर पिता हेमा गुर्जर की मृत्यु उपरांत निर्णित विरासती नामान्तरकरण संख्या 378 को पटवारी हल्का द्वारा की गई कालम संख्या 16 में गलत रिपोर्ट के आधार पर केवल अकेले देवजी के पुत्र गौरीलाल के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.02.1975 से असंतुष्ट होकर अप्रार्थीगण की ओर से यह अपील अग्र वर्णित बिन्दुओं पर यह अपील प्रस्तुत की गई है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता देवजी पिता हेमाजी की मृत्यु निर्वसियती होने से अपीलार्थीगण प्रथम श्रेणी की वारिस होने उत्तराधिकारिता का अधिकार रखती है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन अधिनियम 2005 से पूर्व पुत्री मां पिता की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार प्राप्त करती थी संशोधन के पश्चात पिता के जीवनकाल में ही पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती है इसलिए देवजी की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात् निर्णित विरासती नामान्तरकरण में पुत्रियां का पुत्र एवं पत्नि का बराबर हक हिस्सा बनता है इस कारण नामान्तरकरण संख्या 378 अवैध रूप से निर्णित होने से निरस्तनीय है। नामान्तरकरण संख्या 378 के कलम संख्या 16 में राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट अंकित की गई थी। मृतक देवजी के पुत्र गौरीलाल के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पत्नि व पुत्रियां होते हुए भी उत्तराधिकारी केवल एक मात्र पुत्र को दर्शित करने एवं उसी के आधार पर नामान्तरकरण निर्णित करने में अवैधानिकता की है। रेस्पोडेंट्स ने मुख्य रूप से मियाद के बिन्दु को विस्तृत रूप से अंकित करते हुए अपील को 43 वर्ष पश्चात् देरी से प्रस्तुत होने के अवलम्बरन लेकर इसी बिन्दु पर निर्णित किये जाने पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया हैं जबकि मियाद का बिन्दु जानकारी दिनांक से प्रारम्भ होती है जैस कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय आरआरडी 1956 पेज संख्या 119 नानु बनाम श्याम बिहारी में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिनिर्धारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में भी यही स्थिति है कि अपीलार्थीगण ने जानकारी का कारण दिनांक अंकित करते हुए मयाद वृद्धि का आवेदन पत्र मय शपथपत्र के पेश किया है। रेस्पोर्डेंट्स ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मियाद वृद्धि दफा 5 में अपीलार्थी के शपथपत्र का खण्डन नहीं किया जिससे अपील प्रस्तुत में हुई देरी को कण्डोन करना न्यायोचित है। जैसा कि आरआरडी 1990 पेज संख्या 679 में स्पष्ट आधार अंकित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील में मुख्य रूप से अवलम्बन लिया कि अपीलार्थीगण को अवसर ही प्रदान नहीं किया नामान्तरकरण निर्णित करते समय वैध वारिसान उत्तराधिकारियों बाद कोई जांच पूछताछ नहीं की गई इस प्रकार नामान्तरकरण निर्णित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त होकर निरस्तनीय रहता हैं अपील के निर्णय के समस अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है केवल मियाद के बिन्दु पर ही अपील का निष्पादन करना अपीलार्थीगण के साथ घौर अन्याय की श्रेणी में आता है इसलिए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर मृतक देवजी के वैध उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान करते हुए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 05.02.1975 को सव्यय निरस्त करते हुए मौजा ग्राम औछडी पटवार हल्का ओछडी में स्थित आराजी संख्या 780ख 782, 783, 784, 785, 786, 983/1, 1157/781 कुलिया किता 8 रकबा 2.6150 तथा खाता संख्या 318 पर दर्ज सिंचाई का स्त्रोत आराजी संख्या 790 रकबा 0.06 हैक्टर एवं खाता संख्या 319 पर दर्ज आराजी नंबर 341 से लगायत 350 तक कुल किता 10 रकबा कुलिया 6.34 हैक्टर भूमि में अपीलांट्स का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने तर्को के संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2007(2) पेज संख्या 745 से 752, आरआरटी 2006–07(पूरक) पेज संख्या 34 से 37, आरआरटी 2002(1) पेज संख्या 648 से 655 एवं आरआरटी 2009(1) पेज संख्या 468 से 469 प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 19.07.2019 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की संक्षिप्त बहस पत्रावली को सुना गया। अपनी बहस पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का दोहराया एवं अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर विद्वान अधिवक्ता रेस्पोर्डेंट्स ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अपील अपीलांट्स को मियाद के बिन्दु पर खारीज किये जाने की ईश्तदुआ के साथ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया।

हस्तगत अपील में निर्णय में बिन्दु पर विचार किया गया। चूंकि अपील अपीलांट्स में मुख्य रूप से रेस्पोडेंट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र एतराज किया गया है एवं अपील अपीलांट्स को मियाद प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम निर्णित किये जाने की ईश्तदुआ की गई है, ऐसी स्थिति अपील अपीलांट्स में मुख्य रूप से निर्णय का बिन्दु यह है कि ''**क्या अपीलांट्स को विवादित नामान्तरकरण संख्या 378 निर्णय दिनांक 05.02.1975 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2018 को हुई जिससे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य है एवं अपील अपीलांट्स को अंदर अवधि शुमार किया जा सकता है? यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, शपथ पत्रों का अवलोकन किया। विवादित नामान्तरकरण संख्या 378 निर्णय दिनांक 05.02.1975 का अवलोकन किया। विवादित नामान्तरकरण संख्या 378 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 378 निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सेंती निर्णय दिनांक 20.02.1975 द्वारा निर्णित किया गया है जिसके संबंध में अपील के अधिकार इस न्यायालय का प्राप्त है। नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व(भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है। विवादित नामान्तरकरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सेंती द्वारा निर्णय दिनांक 20.02.1975 द्वारा गवाहान की उपस्थिति में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है। अपील अपीलांट्स के निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने से जाहिर होता है कि अपीलांट्स ने अपील मेमों में कथन किया गया है कि अपीलांट्स को विवादित नामान्तरकरण संख्या 378 निर्णय दिनांक 20.02.1975 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2018 को हुई है जबकि रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त कथन का खण्डन किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स के पक्ष में सहमति इकरारनामा दिनांक 09.04.2009 एवं 20.02.2009 की प्रतियां प्रस्तुत की गई है जो कि शामिल पत्रावली है उक्त इकरार नामा में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सन् 1975 में देवजी उर्फ देवा जी गुर्जर की मृत्यु के पश्चात गौरीलाल पिता देवजी उर्फ देवा के पुत्र के नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदारी में अंकित हुई। जिसके संबंध में अपीलांट्स को आपत्ति व एतराज नहीं है। उक्त इकरारनामा गवाहान की उपस्थिति में किया गया है एवं इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा किसी भी प्रकार से रेस्पोडेंट्स का कथन का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि पत्रावली से स्पष्ट हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को विवादित नामान्तरकरण संख्या 378 की जानकारी दिनांक 10.06.2018 से पूर्व होना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। जहॉ तक अपीलांट्स के मृतक देवजी उर्फ देवा पिता हेमा गुर्जर निवासी ओछडी के जायंदा पुत्रीयां होने का प्रश्न है तो यह विस्तृत वाद विचारण से ही तय किया जाना उचित प्रतीत होता है अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में अपने हक अधिकारों की घोषणा करा अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में निर्णय के बिन्दु के अनुसार अपीलांट्स को विवादित नामान्तरकरण संख्या 378 निर्णय दिनांक 20.02.1975 द्वारा ग्राम पंचायत सेंती के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2018 से पूर्व होना प्रकट होता है जिसके संबंध में अपीलांट्स द्वारा अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं जहां तक जानकारी के अभाव के प्रश्न में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का प्रश्न है तो निर्विवाद रूप से यह तथ्य रेस्पोडेंट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकट किया गया है एवं इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया है कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 10.06.2018 से पूर्व में हो चुकी थी ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को अस्वीकार किया जाता है कि अपील अपीलांट्स को अन्दर अवधि शुमार नहीं किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स मियाद के बिन्दु पर सारहीन होने से खारीज की किया जाता है।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें। यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.07.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official